



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

भाग -1

पंजीयन प्रमाण पत्र

पंजीकरण विवरण

ई-पंजीयन संख्या	पंजीयन मुद्रा (धारा 60 के अनुसार)
पंजीयन तिथि	पंजीयन मुद्रा (धारा 60 के अनुसार)
संपत्ति का गाइड लाइन अनुसार मूल्य	₹ 12,00,000
प्रतिफल राशि	₹ 12,00,000
पंजीयन फीस	₹ 36,000

विलेख का विवरण

विलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लिखत	विक्रय / विक्रय का समानुदेशन (हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत)

ई-स्टाम्प का विवरण

ई-स्टाम्प कोड	01011721052025002948
ई-स्टाम्प राशि	₹ 78,000



शासकीय स्टाम्प शुल्क	₹ 60,000
नगरीय निकाय शुल्क	₹ 0
जनपद शुल्क	₹ 12,000
उपकर	₹ 6,000
छूट दी गयी स्टाम्प शुल्क	₹ 0

ई-स्टाम्प का प्रकार	गैर-न्यायिक
ई-स्टाम्प जारी करने की तिथि एवं समय	20-05-2025 04:56:19 PM
जारीकर्ता	डीना शर्मा
जारीकर्ता का प्रकार	सेवा प्रदाता ,एसपीआईडी: SP011743007202000013
स्थान	MD 4504, Sanwer Main Chauraha, Sanwer, Madhya Pradesh. 155 m from GPS Rawer pin-453551 (India) इन्दौर मध्य प्रदेश

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 1 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

दस्तावेज का पंजीयन, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दर्शित दिनांक को किया गया।





पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

हम, विलेख की लिखत के विक्रेता/क्रेता शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित लिखत पूर्णतः सही एवं सत्य है, एवं जिसकी पुष्टि सभी संबंधित निष्पादकों अथवा दावेदारों, द्वारा की गई है।

विक्रेता का विवरण



नाम	मनीष कुमार Manish Kumar
पिता का नाम	कमल किशोर Kamal Kishor
लिंग	पुरुष
आयु	30 वर्ष
पता	तेजाजी चौक सांवेर, सांवेर, इंदौर , इन्दौर, मध्य प्रदेश, 453551,
पहचान पत्र (मास्कड)	Aadhaar XXXXXXXXX8380
श्रेणी	गैर अनुसूचित जनजाति

क्रेता का विवरण



नाम	रेखा जैन Rekha Jain
पति का नाम	व/ो: वीरेंद्र कुमार जैन Virendra Kumar Jain
लिंग	महिला
आयु	65 वर्ष
पता	ग १२ रतलाम कोठी, इंदौर, इंदौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001,
पहचान पत्र (मास्कड)	Aadhaar XXXXXXXXX6666
श्रेणी	गैर अनुसूचित जनजाति

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 3 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

क्रेता का विवरण



नाम	वीरेंद्र कुमार जैन Virendra Kumar Jain
पिता का नाम	उदयराज जैन Udayraj Jain
लिंग	पुरुष
आयु	70 वर्ष
पता	ग १२ रतलाम कोठी, इंदौर, इंदौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001,
पहचान पत्र (मास्कड)	Aadhaar XXXXXXXX0134
श्रेणी	गैर अनुसूचित जनजाति

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 4 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

मैं / हम, सभी निष्पादक एवं दावेदार विक्रय / विक्रय का समानुद्देशन में वर्णित निम्नलिखित संपत्ति के विवरण से सहमत होते हुए विधि पूर्वक पुष्टि करते हैं

संपत्ति का मूल्यांकन							
संपत्ति मूल्यांकन आईडी	गाइडलाइन/शासकीय मूल्य (a)	प्रतिफल राशि (b)	प्रभार्य स्टाम्प शुल्क (c)	प्रभार्य स्टाम्प में छूट (d)	पंजीयन फीस (e)	पंजीयन फीस में छूट (f)	पूर्ण भुगतान
881737	₹ 12,00,000	₹ 12,00,000	₹ 78,000	₹ 0	₹ 36,000	₹ 0	₹ 1,14,000
योग	₹ 12,00,000	₹ 12,00,000					

संपत्ति का अभिवर्णन

संपत्ति मूल्यांकन ID : 881737
संपत्ति का प्रकार : कृषि भूमि
भूमि पार्सल ID / यूएलपीआईएन : 1616549837
खसरा क्रमांक : 122/2/1/1/2
संपत्ति का पता : Khasra No - 122/2, Village Colony - LIMBAPIPLIYA, Village - Limbapiplya, Tehsil - UJJAIN, District - Ujjain,
क्या अधिसूचित क्षेत्र में है : नहीं
क्या म. प्र. भू-राजस्व संहिता - 1959 की धारा 165 के तहत नहीं
सक्षम प्राधिकारी के अनुमति आवश्यक है :
व्यपवर्तन की स्थिति : अव्यपवर्तित
संपत्ति के उपयोग का प्रकार : कृषि
आयुक्त भू-अभिलेख से कुल क्षेत्रफल 0.4 हे.
क्या संपत्ति के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का अंतरित/ विक्रय हो रहा है : हाँ

संपत्ति स्वामी एवं विक्रीत खसरा नंबर 122/2/1/1/2 में उसका अंश:

संपत्ति के स्वामी का नाम	पिता/पति/अभिभावक का नाम	संपत्ति में अंश		विक्रीत अंश	
		अंश	क्षेत्र (हे.)	अंश	क्षेत्र (हे.)
मनीष कुमार	कमल किशोर	1	0.4	1	0.400

संपत्ति में क्रेता का अंश

नाम	पिता/पति/अभिभावक का नाम	क्रय किया जा रहा अंश	
		अंश	क्षेत्र (हे.)
रेखा जैन	व/ो: वीरेंद्र कुमार जैन	1/2	0.2

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 5 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

वीरेंदर कुमार जैन	उदयरज जैन	1/2	0.2
-------------------	-----------	-----	-----

विक्रीत संपत्ति की चतुरसीमा / चौहद्दी

उत्तर

कैलाश बाई की कृषि भूमि है

दक्षिण

कमल की कृषि भूमि है |

पूर्व

आम रास्ता व माखन की कृषि भूमि है |

पश्चिम

कमल की कृषि भूमि है |

क्या निर्माण है :

नहीं

संदर्भित दस्तावेज

1. ऊपर वर्णित संपत्ति मेरे / हमारे द्वारा पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक MP17IGR18842024A100074623 दिनांक 20/12/2024 से प्राप्त की गई है।

लागू होने वाले उपबंध :

लागू नहीं

मैं/हम, निष्पादक/अंतरक, ने निम्नलिखित विवरण अनुसार प्रतिफल प्राप्त कर लिया है-

क्र.सं.	भुगतान का तरीका	भुगतानकर्ता	द्वारा प्राप्त	संदर्भ क्रमांक	भुगतान दिनांक	राशि
1	चेक बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक	रेखा जैन	मनीष कुमार	573300	29-01-2025	₹ 6,00,000
2	चेक बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक	वीरेंदर कुमार जैन	मनीष कुमार	991065	21-05-2025	₹ 3,00,000
3	चेक बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक	रेखा जैन	मनीष कुमार	870455	13-01-2025	₹ 3,00,000
कुल किया गया भुगतान						₹ 12,00,000
शेष राशि						₹ 0

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 6 | यह दस्तावेज पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है |



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड :

01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि :

20-05-2025 04:56:19 PM

भाग -2

प्रपठन / इबारत / रिसाइटल

हम इसे सत्यनिष्ठापूर्वक प्रमाणित करते हैं -

- उपरोक्त संपत्ति के अंतरण/संक्रांत करने का अधिकार ई-रजिस्ट्री दस्तावेज (01 जुलाई 2015 के बाद पंजीकृत दस्तावेज), के द्वारा प्राप्त किया गया है एवं मुझे संपत्ति को अंतरित/संक्रांत करने का सम्पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार हमने ऊपर वर्णित संपत्ति को पूर्ण होशो-हवाश में अंतरित कर दिया है।
- हमने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के धारा 22क का पूर्णतः पालन किया है एवं उक्त संपत्ति को इसके पूर्व किसी को भी विक्रय/अंतरित नहीं किया है।
- इस संपत्ति पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन अथवा किसी भी कानूनी संस्था द्वारा विक्रय से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- अन्तरिती/ग्रहीता को संपत्ति का कब्जा प्रदाय कर दिया गया है एवं अन्तरिती/ग्रहीता अपने नाम से संपत्ति का नामांतरण करने का पूर्ण अधिकारी होगा।
- इस दस्तावेज में वर्णित संपत्ति का विवरण एवं वर्णन पूर्णतः सत्य एवं सही है।
- यदि दस्तावेज के अभिवर्णन एवं अंतरित संपत्ति के विवरण में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।
- इस दस्तावेज में वर्णित कृषि भूमि सिंचित/असिंचित है के संबंध में आयुक्त भू-अभिलेख के आकड़ों से जानकारी प्राप्त की गई है।
- इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और हमारे द्वारा कुछ भी नहीं छिपाया गया है। हम यह भी वचन देते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के मामले में हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- हमने इस दस्तावेज को स्वतंत्र और निष्पक्ष सहमति से, बिना किसी दबाव के, स्वस्थ मानसिक स्थिति में इस दस्तावेज का निष्पादन किया है।
- !!श्री!!
विक्रय विलेख ग्राम लिम्बापिपल्या तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध से।

विक्रेतापक्ष :- मनीष कुमार पिता कमल किशोर

निवासी :- 12 तेजाजी चौक वार्ड क्रमांक 11 सांवेर जिला इंदौर म.प्र

----एवं----

क्रेतापक्ष :- विरेन्द्र कुमार जैन पिता उदयराज जैन

रेखा जैन पति विरेन्द्र कुमार जैन

दोनों निवासी :- G-12 ,रतलाम कोठी इंदौर म.प्र

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 7 | यह दस्तावेज पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

इस विक्रय विलेख को लिख देने वाले विक्रेता जिन्हे इस लेख में आगे विक्रेतापक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, प्रतिफल राशि प्रदान कर क्रेता जिन्हे इस लेख में आगे क्रेतापक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, के पक्ष में निम्नानुसार निष्पादीत करते है कि :-

01. यह कि, विक्रेतापक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि प.ह.नं.28 सर्वे नम्बर 122/2/1/1/2 कुल रकबा 0.400 हेक्टेयर, जो कि, ग्राम लिम्बापिपल्या तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. पर स्थित है, जिसकी ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR क्रमांक 11170390382 है । उक्त कृषि भूमि भू- राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी विक्रेतापक्ष के नाम पर इन्द्राज है । जिस कारण विक्रेतापक्ष को उक्त कृषि भूमि को विक्रय अंतरण एवं हस्तांतरण करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

02. यह कि, विक्रेतापक्ष के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि का विक्रय विक्रेतापक्ष द्वारा अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रेतापक्ष से प्रतिफल राशि प्राप्त कर उनके पक्ष में यह विक्रय विलेख का निष्पादन किया जा रहा है। जिसका विवरण एवं चर्तुसीमा निम्नानुसार है :-

बिक्रीत कृषि भूमि का विवरण एवं चर्तुसीमा :-

03. उक्त कृषि भूमि ग्राम लिम्बापिपल्या तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. में प.ह.न. 28 सर्वे नम्बर 122/2/1/1/2 कुल रकबा 0.400 हेक्टेयर, पर स्थित होकर सिंचित कृषि भूमि है, जिसे विक्रेतापक्ष द्वारा इस विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है, बिक्रीत कृषि भूमि परिवर्तित भूमि नहीं है, उक्त विक्रय की गई भूमि से अनुलग्न रास्ते के अधिकार, सुखाधिकार, एवं आज दिनांक तक विक्रेतापक्ष को प्राप्त समस्त अधिकार इस विक्रय विलेख के अन्तर्गत अब क्रेतापक्ष को प्राप्त हो गए है। विक्रय की जा रही कृषि भूमि मात्र कृषि उपयोग की होकर उस पर किसी प्रकार के किमती वृक्ष, मकान स्थित नहीं है। बिक्रीत कृषि भूमि राष्ट्रीय या राज्य या जिला या प्रधानमंत्री रोजगार, सड़क पर स्थित नहीं है। जिसे आगे इस लेख में सम्पत्ति शब्द से संबोधित किया गया है।

चर्तुसीमा :-

पूर्व में :- आम रास्ता व माखन की कृषि भूमि है ।

पश्चिम में :- कमल की कृषि भूमि है ।

उत्तर में :- कैलाश बाई की कृषि भूमि है ।

दक्षिण में :- कमल की कृषि भूमि है ।

04. यह कि, उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति विक्रेता पक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को अपने स्वत्व एवं अधिकारो सहित कुल राशि रूपये 12,00,000/- (अक्षरी बारह लाख रूपये मात्र) में विक्रय अंतरित की गई है, तथा प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से साक्षियों के समक्ष निम्नानुसार प्राप्त की गई है :-

01. रूपये 6,00,000/- (अक्षरी छ : लाख रूपये मात्र) भारतीय स्टेट बैंक चैक क्रमांक 573300 दिनांक 29/01/2025 के माध्यम से अदा किए गए है ।

02. रूपये 3,00,000 /- (अक्षरी तीन लाख रूपये मात्र) भारतीय स्टेट बैंक चैक क्रमांक 870455 दिनांक 13/01/2025 के माध्यम से अदा किए गए है ।

03. रूपये 3,00,000 /- (अक्षरी तीन लाख रूपये मात्र) भारतीय स्टेट बैंक चैक क्रमांक 991065 दिनांक 21/05/2025 के माध्यम से

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 8 | यह दस्तावेज पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज को <https://sampada.mpigir.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है ।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड :

01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि :

20-05-2025 04:56:19 PM

अदा किए गए हैं ।

उक्त चैको के माध्यम से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति विक्रेतापक्ष द्वारा साक्षियों के समक्ष इस लेख पर अपने हस्ताक्षर कर प्रदान की गई है । अब विक्रेतापक्ष को विक्रय प्रतिफल पेटे कुछ भी राशि उप-पंजीयक महोदय, के समक्ष लेना शेष नहीं है ।

05. यह कि, विक्रय की गई सम्पत्ति का कब्जा एवं आधिपत्य विक्रेतापक्ष अर्थात मूल भूमि स्वामी ने क्रेतापक्ष को मौके पर ले जाकर दे दिया है, तथा क्रेतापक्ष ने इस पर अपना कब्जा एवं आधिपत्य कर लिया है, आज दिनांक से क्रेतापक्ष इसका उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है ।

06. यह कि, विक्रेतापक्ष के द्वारा बिक्रित सम्पत्ति के संबंध से क्रेतापक्ष के अतिरिक्त पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्रय, अंतरण संबंधित दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है एवं न ही किसी प्रकार का लेख विलेख, मौखिक वचन या पारिवारिक व्यवस्थापन इत्यादि का निष्पादन भी नहीं किया गया है । बिक्रित भूमि पर किसी व्यक्ति, बैंक, शासकीय व अशासकीय संस्थान का कोई कर्ज, जमानत, कोई शुल्क, अटेचमेन्ट, डिक्री आदि का कोई भार, बौझ भी नहीं होकर बिक्रित भूमि के संबंध से किसी प्रकार का कोई न्यायालयीन प्रकरण भी विचाराधीन भी नहीं है, एवं ना ही किसी प्रकार के पारिवारिक विवाद विद्यमान है, वर्तमान में बिक्रित सम्पत्ति पूर्णतः भार मुक्त, पवित्र व स्वतंत्र अवस्था में है । यदि फिर भी बिक्रित सम्पत्ति के संबंध से कोई भार, बौझ, दान, गिरवी, ऋण, अंतरण, हस्तांतरण आदि पाया जाता है तो उसके निराकरण का पूर्ण दायित्व विक्रेता विक्रेतापक्ष पर रहेगा ।

07. यह कि, विक्रेतापक्ष के द्वारा उल्लेखित सम्पत्ति के सम्बन्ध से अन्य किसी व्यक्ति को मुखत्यार आम नियुक्त नहीं किया गया है, न ही किसी व्यक्ति के पक्ष में उक्त आशय का अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित किया है । यदि ऐसा कोई मुखत्यार नामा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, तो वह कूट - रचित, प्रभावहिन होकर बंधनकारक भी नहीं होगा । यदि भविष्य में कोई दस्तावेज पाया जाता है, तो वह भी इस विक्रय लेख के आधार पर निरस्त समझा जावेगा ।

08. यह कि, विक्रय की जा रही सम्पत्ति पर क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा अपना नाम बतौर भूमि स्वामी राजस्व विभागों में सभी जगह व अन्य शासकीय रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जावेगा । उक्त सदर कार्यवाहियों में विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावेगा । विक्रय की जा रही उल्लेखित कृषि भूमि के संबंध से विक्रेतापक्ष, क्रेतापक्ष को नामांतरण कार्यवाही, बटाँकन करवाने में व अन्य समस्त औपचारिक कार्यवाहियों को पूर्ण करवाने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहेंगे व उक्त कार्यवाहियों के लिए बाध्य रहेंगे ।

09. यह कि, विक्रय की जा रही सम्पत्ति को आज दिनांक तक का समस्त राजस्व कर, लगान एवं पंचायत शुल्क आदि का भुगतान विक्रेतापक्ष द्वारा किया जावेगा, तथा आज दिनांक के पश्चात् क्रेतापक्ष द्वारा उक्त सम्पूर्ण करों का भुगतान किया जावेगा ।

10. यह कि, विक्रय की जा रही सम्पत्ति के स्वत्व एवं अधिकारो बाबद् किसी ने कोई दावा या विवाद आदि नहीं है, नाही कोई अन्य प्रकरण संबंधित कृषि भूमियों के संबंध से विचाराधीन है, यदि भविष्य में उक्त कृषि भूमियों के संबंध से कोई दावा विवाद आदि पाया जाता है तो उसका समस्त दायित्व व व्यय विक्रेतापक्ष द्वारा वहन किया जावेगा, तथा इस कारण से विक्रेतापक्ष के द्वारा क्रेतापक्ष को कोई क्षति नहीं होने दी जावेगी ।

11. यह कि, विक्रय की जा रही सम्पत्ति के इस विक्रय व्यवहार से धारा 165 (6) 7-क, 7-ख म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 का तथा म.प्र. कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 का या कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के किसी भी प्रावधानो का उल्लंघन नहीं होता है एवं उक्त वर्णित सम्पत्ति किसी राष्ट्रीय या राज्य या जिला या प्रधानमंत्री रोजगार, सड़क तथा अन्य मार्गों पर स्थित नहीं है साथ ही उक्त कृषि भूमि मिलट्री(आर्मी) द्वारा या अन्य शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा अधिगृहित नहीं की गई होकर पूर्णतः शुद्ध एवं पवित्र स्थिति में है ।

12. यह कि, उक्त कृषि भूमि म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के उपबन्धो के अनुसार एवं विक्रय की जा रही कृषि भूमि

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 9 | यह दस्तावेज पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है ।

इस दस्तावेज को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है ।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

सन् 1959 के बाद अनु. जाति के किसी भी सदस्य के स्वामीत्व के नाते दर्ज नहीं हुआ है । ना ही किसी प्रचलित विधान की धाराओं का उल्लंघन होता है । न ही उक्त विक्रय की गई भूमि नजुल की भूमि या अन्य कोई शासन की योजना में शामिल है।

13. यह कि, इस विलेख में विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष शब्द का जहाँ - जहाँ उल्लेख किया गया है, जिससे आशय विक्रेता एवं क्रेता स्वयं व उनके वैध उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, असाईनीज, मुख्त्यार आम आदि से भी है, तथा क्रेता शब्द में आगामी व समय-समय पर स्वत्व गृहण करने वाले व्यक्तियों से है।

14. यह कि, हम इस विलेख के निष्पादकगण शपथपूर्वक कथन करते हैं कि इस विलेख के अन्तर्गत अंतरित की जा रही/समाविष्ट संपत्ति को हमने या हमारे प्रतिनिधि या समनुदेशिनी या हमारे अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या अन्य प्रकार से पूर्व में हस्तांतरित या स्थायी रूप से अन्य संक्रांत नहीं किया गया है, और तदनुसार हम उपर्युक्त पैरा में कथित तथ्य का अपनी जानकारी एवं विश्वास से सही है, एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में धारा 22 क में अंतः स्थापित भाग - 3 का उल्लंघन नहीं है, सत्यापित करते हैं।

15. यह की बिक्रीत संपत्ति के संबंध में आज दिनांक तक संपूर्ण भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा स्टेटस को (यथा स्थिति) या किसी भी प्रकार के अंतरण , हस्तांतरण पर रोक का आदेश प्रदान नहीं किया गया है । यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है ,या कोई तथ्य पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी शपथ ग्रहिता/ विक्रेतापक्ष की रहेगी ।

16. यह कि बिक्रीत संपत्ति किसी भी जांच एजेंसी यथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)/प्रवर्तन निदेशालय(ED)/इनकम टैक्स विभाग (IT) /केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)/लोकायुक्त विभाग/आर्थिक अपराध शाखा(EOW) या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अटैच नहीं की गई है। यदि भविष्य में ऐसा कोई तथ्य मेरे/हमारे द्वारा छिपाया जाता है या पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी विक्रेतापक्ष /अन्तरणकर्ता /शपथग्रहिताकीरहेगी।

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेतापक्ष ने स्वेच्छा से राजी-खुशी से बिना किसी धौस दबाव, लालच, प्रलोभन के, स्वस्थ मन बुद्धि कि दशा में पढ़ कर, सुन कर, समझकर गवाहो के समक्ष क्रेतापक्ष के पक्ष में तथा हित में आज दिनांक को अपने-अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया है। ताकी सनद रहे, और वक्त जरूरत काम आवे।

उक्त विलेख का प्रारूप उभयपक्ष द्वारा दी गई प्रदत्त जानकारी एवं प्रमाणित दस्तावेज (खसरा, नक्षा एवं भू-अधिकार पुस्तिका) अनुसार तैयार किया गया है, सभी जानकारी, दस्तावेज का प्रारूप,पहचानपत्र आदि हम उभयपक्षों द्वारा जांच पुष्टि कर सर्विस प्रोवाइडर से अपलोड कराये गए हैं,जो अपलोड कराया गया है वह भी हम उभयपक्षों द्वारा जांच,पुष्टि कर,पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ही सम्पदा में सुरक्षित करवाकर स्लाट प्राप्त किया गया है।

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेतापक्ष ने स्वेच्छा से राजी-खुशी से बिना किसी धौस दबाव, लालच, प्रलोभन के, स्वस्थ मन बुद्धि कि दशा में पढ़ कर, सुन कर, समझकर गवाहो के समक्ष क्रेतापक्ष के पक्ष में तथा हित में आज दिनांक को अपने-अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया है। ताकी सनद रहे, और वक्त जरूरत काम आवे।

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the Identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and date of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) or the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (advocate and Service provider of this deed) will not take any responsibility whether

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 10 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manual, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, and instructions of various officers Authorities etc. regarding above, i.e. Advocate(s) and Service provider disowned all the legal, factual, Criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

फॉर्म-ए-1

(निष्पादक द्वारा घोषणा)

- 1 मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई गलत सूचना के मामले में मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नाम	माता/पिता/पति/संरक्षक का नाम	पूर्ण पता	ई-मेल पता	मोबाइल फोन नं.	पहचान पत्र का नाम और उसका नंबर
मनीष कुमार	पिता - कमल किशोर	तेजाजी चौक सांवेर, सांवेर, इंदौर	ma*****@gmail.com	XXXXXXX2496	आधार नंबर XXXXXXXXXX8380

- 2 मैं/हम मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उप-धारा (6) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिवासी जनजाति से संबंधित नहीं हूँ/हैं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है भूमि हस्तांतरण का हस्तांतरण।
- 3 मैं/हम और अन्तरिती/दावेदार मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उप-धारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिवासी जनजाति से संबंधित नहीं हैं और भूमि का हस्तांतरण करते हैं। न तो अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है और न ही कृषि भूमि है, इसलिए भूमि के इस तरह के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं है।
- 4 मैं/हम भू-हस्तांतरण का भूमिस्वामी हूँ/हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 158 की उप-धारा (3) के तहत भूमिस्वामी नहीं हूँ/हैं, 1959 (1959 की संख्या 20) इसलिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- 5 भूमि मेरी/हमारी स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा मैं /हम अंतरित की जा रही सम्पत्ति के एकमात्र / संयुक्त स्वामी हैं ।
- 6 संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कोई मुकदमा लंबित नहीं है।
- 7 हस्तांतरित भूमि सभी शुल्कों और भार आदि से मुक्त है।
- 8 मुझे/हमें भूमि के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है और आज की तारीख में भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कोई अन्य हस्तांतरण विलेख, समझौता या मुख्तारनामा मौजूद नहीं है।
- 9 किसी भी अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही वर्तमान में लागू नहीं है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित तिथि के अनुसार लंबित है।
- 10 हस्तांतरित भूमि किसी सरकारी योजना के तहत अधिग्रहित नहीं की गई थी या/और किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की गई है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

फॉर्म-ए-2 (दावेदार द्वारा घोषणा)

सेवा में,
साइबर तहसीलदार,

मैं/हम एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 110 के अधीन भू-अमिलेखों में नामांतरण के लिए अनुरोध एवं भूमि में के अधिकारों तथा हितों के अर्जन की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

1 अधिकार या हित प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण

नाम और पता	माता/पिता/पति/संरक्षक का नाम	आयु	ई-मेल पता	मोबाइल फोन नं.	आदिम जनजाति/अन्य	पहचान पत्र का नाम और उसका नंबर
रेखा जैन ग १२ रतलाम कोठी, इंदौर, इंदौर	पति - व/ो: वीरेंदर कुमार जैन	65 वर्ष	re*****@sw aarnim.com	XXXXXX252 4	सामान्य	आधार नंबर XXXXXXXX666 6
वीरेंदर कुमार जैन ग १२ रतलाम कोठी, इंदौर, इंदौर	पिता - उदयरज जैन	70 वर्ष	na@gmail.com	XXXXXX559 9	सामान्य	आधार नंबर XXXXXXXX013 4

2 उन व्यक्तियों का विवरण जिनके अधिकार या हित दावेदार को हस्तांतरित या सौंपे गए हैं

नाम और पता	माता/पिता/पति/संरक्षक का नाम	आयु	ई-मेल पता	मोबाइल फोन नं.	आदिम जनजाति/अन्य	पहचान पत्र का नाम और उसका नंबर	हितों का प्रकार तथा उसका विस्तार
मनीष कुमार तेजाजी चौक सांवेर, सांवेर, इंदौर	पिता - कमल किशोर	30 वर्ष	ma***** @gmail.com	XXXXXX249 6	अन्य पिछड़ा वर्ग	आधार नंबर XXXXXXXX838 0	NA



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

3 भूमि तथा अधिकारों या हितों का विवरण

क्र.सं	ज़िला	तहसील	पटवारी/हल्का/सेक्टर क्रमांक	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	भूमि का क्षेत्र जिस पर अधिकारों / हितों का अर्जन हुआ है
1	उज्जैन	उज्जैन 00028-लिम्बापिपल्या-035-लिम्बापिपल्या	00028-लिम्बापिपल्या	लिम्बापिपल्या	122/2/1/1/2	0.4 हे.	0.4 हे.
अधिकारों/हितों के अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम (जैसा कि पैरा-1 के कॉलम (2) में दिया गया है)		अधिकारों/हितों के अर्जन करने वाले व्यक्तियों का अंश/क्षेत्रफल		इस अर्जन को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति के खाते का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)			
				दो फसल सुनिश्चित सिंचाई	एक फसल सुनिश्चित सिंचाई	सूखी भूमि	
रेखा जैन, वीरेंदर कुमार जैन,		0.2 HA (1/2), 0.2 HA (1/2),		NA	NA	NA	

4.1 मैं/हम (विवरण नीचे दिये गए हैं) एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे/हमारे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम परिवचन करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम	माता/पिता/पति/संरक्षक का नाम	पता	ईमेल आईडी	मोबाइल नंबर	पहचान पत्र का नाम और उसका नंबर
मनीष कुमार	पिता - कमल किशोर	तेजाजी चौक सांवेर, सांवेर, इंदौर	ma*****@gmail.com	XXXXXX2496	आधार नंबर XXXXXXXXX8380

4.2 मैंने/हमने इस लेन-देन के संबंध में किसी अन्य अधिकारी या न्यायालय के समक्ष म्यूटेशन के लिए कोई रिपोर्ट या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

4.3 मैं/हम अनुरोध करते हैं कि इस रिपोर्ट/आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार भूमि अभिलेखों में नामांतरण किया जाए

4.4 मैं/हम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग से नहीं हूँ/नहीं हैं और ऐसी भूमि के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

4.5 अंतरित की जा रही भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बांद मेरी/हमारी ओर से मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 14। यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड :

01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि :

20-05-2025 04:56:19 PM

भाग -3

अनुसूची- I: प्रत्येक संपत्ति की जियो-टैग छायाचित्र

संपत्ति क्रमांक	
1	संपत्ति आईडी : 1616549837 छायाचित्र खींचने वाले का नाम - डीना शर्मा Dina Sharma दिनांक एवं समय- 20-05-2025 04:21:30 PM संपत्ति : बाये ओर से छायाचित्र  संपत्ति : मध्य ओर से छायाचित्र  संपत्ति : दाहिने ओर से छायाचित्र 



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

अनुसूची- II: प्रत्येक संपत्ति का प्री- बटान्कन रेखाचित्र/मानचित्र

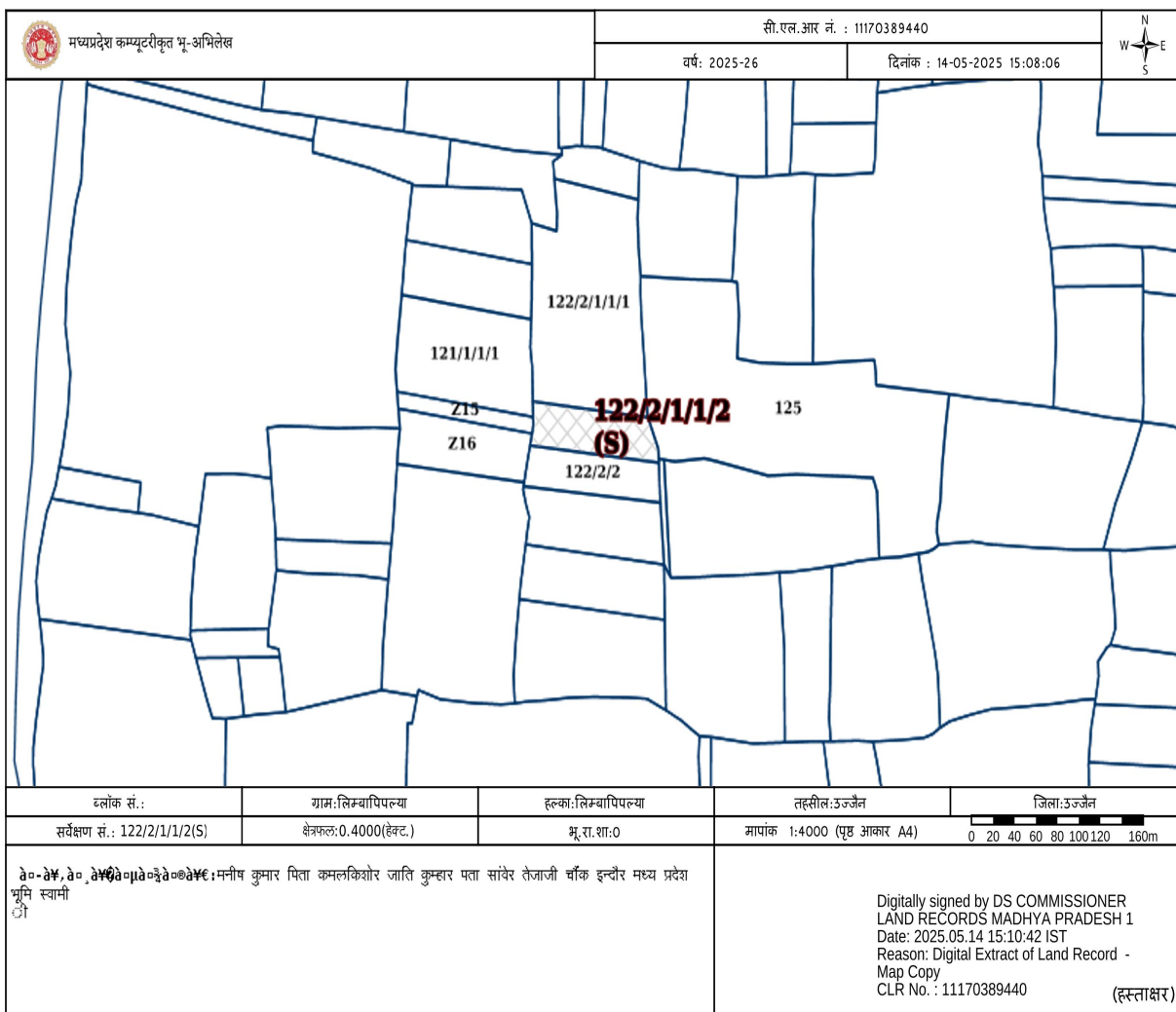
संपत्ति आईडी :

1616549837

खसरा नं.

मानचित्र

122/2/1/
1/2



This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.

मानचित्र स्रोत - स्वयं अपलोड किया गया

मानचित्र प्राप्त करने की तिथि और समय:

21-05-2025 12:03:52 PM

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 16 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

भाग -4

पक्षकारों के ई-हस्ताक्षर			
सरल क्रमांक	पक्षकार के नाम	निष्पादक का प्रकार	ई-हस्ताक्षर मुद्रा
1	मनीष कुमार Manish Kumar	विक्रेता	
2	रेखा जैन Rekha Jain	क्रेता	
3	वीरेंद्र कुमार जैन Virendra Kumar Jain	क्रेता	

गवाह का विवरण (निष्पादन को प्रमाणित करने वाले गवाह)		
सरल क्रमांक	गवाह का नाम/पिता/पति का नाम	ई-हस्ताक्षर मुद्रा
1	प्रशांत शर्मा / स/ो: प्रमोद कुमार शर्मा Prashant Sharma / Pramod Kumar Sharma	

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 17 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

सरल क्रमांक	गवाह का नाम/पिता/पति का नाम	ई-हस्ताक्षर मुद्रा
2	शशिकांत पटेल / माखनलाल पटेल Shashikant Patel / Makhanlal Patel	

घोषणा: निष्पादक/ निष्पादकों ने मेरी उपस्थिति में यह दस्तावेज़, निष्पादित किया है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

भाग -5

प्रस्तुतीकरण का पृष्ठांकन

दस्तावेज़, प्रस्तुतकर्ता द्वारा पंजीयन प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से दर्शित दिनांक एवं समय को प्रस्तुत किया गया।



निष्पादन की अभिस्वीकृति का पृष्ठांकन

सरल क्रमांक	नाम	निष्पादक का प्रकार	पिता/पति का नाम	पता
1	मनीष कुमार Manish Kumar	विक्रेता	कमल किशोर Kamal Kishor	तेजाजी चौक सांवेर, सांवेर, इंदौर , इन्दौर, मध्य प्रदेश, 453551
2	रेखा जैन Rekha Jain	क्रेता	व/ो: वीरेंद्र कुमार जैन Virendra Kumar Jain	ग १२ रतलाम कोठी, इंदौर, इंदौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001
3	वीरेंद्र कुमार जैन Virendra Kumar Jain	क्रेता	उदयराज जैन Udayraj Jain	ग १२ रतलाम कोठी, इंदौर, इंदौर, इन्दौर, मध्य प्रदेश, 452001

उल्लेखित पक्षकारों ने पंजीयन प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से दर्शित दिनांक एवं समय पर स्वीकार किया कि उनके द्वारा दस्तावेज़ निष्पादित किया गया है एवं निष्पादक को रुपये 12,00,000 /- की प्रतिफल राशि प्राप्त हुई है।

दस्तावेज़ में वर्णित उल्लेख अनुसार , पंजीकरण की तारीख पर कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।



निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 19 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

गवाह का विवरण (निष्पादक की पहचान का गवाह)

आधार ई-केवाईसी के अतिरिक्त निम्नांकित साक्षियों ने पक्षकारों की पहचान स्थापित की है।

पंजीकरण सील (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 60 के अनुसार)

इस दस्तावेज़ का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण पंजीयन प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से दर्शित दिनांक एवं समय पर पूर्ण किया गया। इस दस्तावेज़ में कुल 22 पृष्ठ शामिल हैं।

शासकीय स्टाम्प शुल्क	₹ 60,000
पंजीयन फीस	₹ 36,000
नगरीय निकाय शुल्क	₹ 0
जनपद शुल्क	₹ 12,000
उपकर	₹ 6,000
छूट दी गयी स्टाम्प शुल्क	₹ 0
कुल	₹ 1,14,000

निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 20 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM

भाग -6

अतिरिक्त पृष्ठांकन



पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश



पंजीयन प्रारंभ आई डी : R-20052500617053

ई-स्टाम्प कोड : 01011721052025002948

ई-स्टाम्पिंग तिथि : 20-05-2025 04:56:19 PM



निष्पादक मनीष कुमार (विक्रेता) और रेखा जैन और 1 अन्य (क्रेता) के बीच हस्तांतरण-पत्र के पृष्ठ 22 में से 22 | यह दस्तावेज़ पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है तथा इसे हस्ताक्षर में दर्शित तिथि और समय पर आधार इको-सिस्टम द्वारा सत्यापित किया गया है।

इस दस्तावेज़ को <https://sampada.mpigr.gov.in/search/#/VerifyRegdocument> लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है।